रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2811] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 2811] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3590(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं; 194 तालिका उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
194	163	छत्तीसगढ़ राज्य में भोपालपट्टनम के निकट रारा सं.-63 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तेलंगाना राज्य में वेंकटपुरम, वारंगल, हैदराबाद, मोइनाबाद, चेवेल्ला, मन्नेगुडा, कोडंगल को जोड़ने वाला और तेलंगाना/कर्नाटक सीमा पर रेवुलापल्ली के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/16/2016-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी ऐंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कानिआ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 2573(अ), दिनांकित 28 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3590(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Trnasport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011, namely :—

In the Schedule, for serial number 194 and entries relating therto, the following shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
194	163	The highway starting from its junction with NH 63 near Bhopalpatnam in the State of Chhatishgarh connecting Venkatpuram, Warangal, Hyderabad, Moinabad, Chevella, Manneguda, Kodangal in the State of Telangana and terminating near Ravulapalli at Telangana/Karnataka border.

[F. No. NH-14012/16/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2573, dated 28th July, 2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.03 11:57:56 +05'30'